

प्रेषक,

श्रीम प्रकाश कुमार,
संस्कृत शिक्षा,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

सेवा में,

श्रीम, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
भाग-2, सहाय भवन,
प्राज्ञा भवन, नई दिल्ली ।

शिक्षा १७१ अनुभाग

लखनऊ: दिनांक ०८ फरवरी, २००५

विषय:-

नाममा शिक्षा संस्थान उपरनपुर गंगाबद, बरौंडी वी सी०वी०एस०सी०नईदिल्ली
से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिने जाने विषय ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को **सी०वी०एस०सी०** नईदिल्ली से
संबन्धिता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित
प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- १। विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- २। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।।
- ३। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ०प०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- ४। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धिता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्वामिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबन्धिता प्राप्त होने की तिथि से उ०प०माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें ।

- § 5§ संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- § 6§ कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा-निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- § 7§ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निगृहीत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- § 8§ विद्यालय सिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- § 9§ उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

। विमल प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।

पू०सं० एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई ।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, नालन्दा शिक्षा संस्थान उपरनपुर, शाहाबाद, हरदोई ।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा सि,

। विमल प्रकाश गुप्त ।
संयुक्त सचिव ।